समक्ष :–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

:: अनुबंध–पत्र ::

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में सायकिल/ मोटर सायकिल स्टेण्ड/कार स्टेण्ड के संचालन हेतु

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर के गेट कमांक 04 से जाने वाली बेसमेंट के अंदर सायकिल/मोटर सायकिल स्टेण्ड/कार स्टेण्ड का संचालन किया जाना है, जिसका एरिया 800 वर्गमीटर है, के एक वर्ष की कालावधि वर्ष 2019–20 के लिये संचालन करने संबंधी शर्ते निम्नानुसार हैं :–

:: शर्ते ::

01 साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड के ठेके की अवधि दिनांक 15 फरवरी 2019 से दिनांक 15 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिये रहेगी।

02 दिनांक 15 फरवरी 2019 तक या उसके पूर्व निविदा कार्यवाहियां पूर्ण कर साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड का ठेका दिया जाना सुनिश्चित होगा।

03 साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड/चार पहिया वाहन के ठेके के लिए न्यूनतम निविदा राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग–1 जबलपुर से निर्धारित किया गया होगा जो अनुबंध निष्पादन के सम्पूर्ण वर्ष भर में चार समान किश्तों में प्रथम किश्त 15 मई 2019, द्वितीय किश्त 15 अगस्त 2019, तृतीय किश्त15 नवम्बर, 2019 एवं चतुर्थ किश्त 15 फरवरी, 2020 तक अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा कराना होगा।

04 जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ स्टेण्ड का संचालन एक वर्ष के लिये किये जाने हेतु दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध सम्पादित किया जावेगा। वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्णहोने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की वृद्धि अंतिम बोली की राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा जमा करने पर की जा सकती है। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

05 निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ 25000 रूपये की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, जबलपुर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा किंतु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश, जबलपुर के संयुक्त नाम की बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जावेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का किसी भी रूप से उल्लंघन किए जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पहृत की जा सकेगी।

06 सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ0डी0आर0 अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष की वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परंतु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

07 जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि अनुबंध की कंडिका 3 के अनुसार जमा करनी होगी, अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

08 अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टेंड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

09 माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना होगा।

10 वाहन स्टेंड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा नामांकित किसी भी न्यायाधीश को निर्णय हेतु सौंपा जावेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा, किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम बंधनकारी होगा।

11 निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

12 निविदाकर्ता वाहन स्टेंड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधी संचालित नहीं करेगा, अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

13 निविदाकर्ता वाहन स्टेंड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय में द्वितीय पक्ष द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर वाहन स्टेंड का आवश्यक रूप से संचालन किया जावेगा।

14 निविदाकर्ता वाहन स्टेंड के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेंड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जोकि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदन कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति, को क्षति कारित करने वाला ना हो। किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

23 वाहनों को उपरोक्त किराया दर सूचना पटल जिला न्यायालय के दोनों द्वारों पर ठेकेदार के बैठने वाले स्थान में लगाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त किराया दरों में से कोई भी परिवर्तन आपके द्वारा नहीं किया जावेगा। साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड जिला न्यायालय के अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन 9:00 बजे प्रातः से शाम 7:00 बजे तक के लिये या अन्य ऐसे समय तक जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित किया जावेगा, खुला रहेगा।

24 साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड हेतु टोकन बुक अथवा स्थायी टोकन रखना आवश्यक है जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय की दृष्टि में समाधानप्रद हो। साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड से वाहन की टूट-फूट होती है या चोरी होती है, तो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जो क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जावेगी, वह ठेकेदार को अदा करना आवश्यक होगा।

25 वाहन स्टेंड जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा तथा अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

26 निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (यदि कोई हों) प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।

27 सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किए जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष) के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

28 द्वितीय पक्ष द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्ण शर्तों का उल्लंघन करने या विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

29 कार्यालय जिला न्यायालय जबलपुर (द्वितीय पक्ष) को यह अधिकार रहेगा कि निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र.

14(अ) निविदाकर्ता ठेकेदार स्टेंड की साफ सफाई के लिए कम से कम 6 कर्मचारी नियुक्त करेगा तथा सफाई कर्मचारियों के नाम कार्यालय को देगा।

15 निविदाकर्ता वाहन स्टेंड तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा, किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण ही क्यों ना हो, नहीं करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस 100 रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगा।

16 प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा, जिससे पक्षकारान तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो तथा सार्वजनिक या अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग ना तो स्वयं करेगा ना अन्य को करने देगा।

17 सामान्यतः प्रथम पक्ष दो पहिया वाहन/चार पहिया वाहन के लिए अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा :–

अ.	सायकिल किराया प्रतिदिन –	06 रूपये आम पब्लिक के लिए 50 रूपये मासिक
ब.	दो पहिया वाहन –	10 रूपये आम पब्लिक के लिए 100 रूपये मासिक
स.	कार –	20 रूपये सभी के लिए 200 रूपये मासिक

अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सूचना पटल पर, जिला न्यायालय के दोनों गेट पर तथा ठेकेदार के बैठने वाले स्थान पर लगाना होगा।

18 प्रथम पक्ष के कर्मचारी वाहन स्वामियों से सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा साथ वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का रहेगा।

19 प्रथम पक्ष वाहन स्थानक के संचालन के लिए किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय से अनुमोदित कराई जावेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।

20 निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से स्टेंड बंद नहीं रखेगा, अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा 500 रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कीजावेगी।

21 स्टेंड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22 साईकिल/मोटरसाईकिल स्टेंड/कार स्टेंड के किसी भी भाग को रहने अथवा अन्य किसी कार्य के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा। ऐसे किसी कार्य के लिये उपयोग में नहीं लिया जावेगा, जिसका संबंध वाहन स्टेंड रखने से नहीं है। वाहन स्टेंड एवं आसपास से स्थानों को साफ स्वथरा रखने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय जबलपुर में वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के वेबसाइड **www.mphc.gov.in** एवं **www.tenders.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थायें / व्यक्तियों / कम्पनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 30.01.2019 की सांयकाल 5:30 बजे तक आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रलेख कार्यालय जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय जबलपुर में दिनांक 30.01.2019 तक कार्यालयीन समय पर उपलब्ध रहेगा।

वास्ते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

टेण्डर फार्म नं......

फोटो

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जबलपुर (म.प्र.)

मेरे/हमारे.. द्वारा टेण्डर में संलग्न नियम एवं शर्तो को पढ़ एवं समझ लिया गया हैं तथा संबंधित नियम एवं शर्तो का पालन करने हेतु सहमत हूं/हैं। निविदा फार्म की कीमत 500 रूपये अदा करने के साथ ही उक्त निविदा फार्म अंतिम दिनांक 29.01.2019 को शाम 05.00 बजे तक जमा करने तथा दिनांक 30.01.2019 को दोपहर 05.30 बजे क्रय समिति नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के चेम्बर में आयोजित टेण्डर को खुलवाने के लिये सहमत हूं/हैं एवं हम उक्त शर्तो एवं नियम को पालन करने हेतु लिखित में सहमति देने हेतु तैयार हैं। शर्ते पूरी न होने पर बयाना के तौर पर जमा की गई राशि को जप्त होने पर मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैं/हम अनुबंध की शर्तो के अंतर्गत तथा संलग्न अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिये सहमत हैं।

मैं/हम नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में **साईकिल स्टैण्ड संचालन** हेतु अनुबंध शर्तो के अनुसार निर्धारित दरों पर कार्य करने के लिये सहमत हैं।

मैं/हम द्वारा यह घोषणा की जाती हैं कि, हमारे द्वारा बेवसाईड www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in में उपलब्ध टेण्डर संबंधी समस्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का कोई जोड़, घटाना या बदलाव नही किया गया हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेजों की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को ही अंतिम दस्तावेज माना जावेगा एवं यदि हमारे द्वारा दिये गये दस्तावेजो एवं मूल कॉपी में कोई बदलाव पाया जाता हैं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/प्रशासनिक/क्रय समिति हमारे इकारारनामा को निरस्त करने हेतु पूर्ण स्वंतत्र हैं।

मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर के साथ बयाना राशि .... को एफ.डी.आर/डिमाण्ड डाफ्ट/ बैंक चैक/ बैंक गारण्टी .... दिनांक........ को बंद लिफाफा में जमा किया जावेगा।

टेण्डर राशि .... को हमारे द्वारा डी.डी./चैक नंबर .... दिनांक .... को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुये प्रेषित किया जावेगा।

दिनांक.......... हस्ताक्षर

गवाह हस्ताक्षर नाम.....................

1. पता...........................

2.